राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक का नाम
1.	1803/2022 विद्यावती बोहराना	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला बांसवाडा (राज.)। 4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।	31.05.2022	श्री एस. के. सिंगोदिया, अभिभाषक
2.	2051/2022 प्रवीणा भट्ट		22.06.2022	

आदेश की दिनांक : 25.01.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1803/2022 विद्यावती बोहराना बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद से जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, बांसवाडा से सेवानिवृत्त हो चुका है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक के पद पर अस्थाई आधार पर दिनांक 25.11.1985 को हुई थी और उसे नियम 26 एवं 27 राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा नियम, 1959 के तहत दिनांक 25.11.1987 से आदेश दिनांक 17.12.1987 के द्वारा स्थाई घोषित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अपने विनिश्चयों में यह आदेशित किया है कि अप्रशिक्षित अध्यापक जिनकी सेवाएं 10 वर्ष पूरी हो चुकी हैं उन्हें प्रशिक्षित मानते हुए चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। परंतु अपीलार्थी का वेतन निर्धारण दिनांक 25.01.1992 से निर्धारित कर

चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अपील संख्या 968/2002 अधिकरण में प्रस्तुत की। परंतु इसके बावजूद अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ स्थाई घोषित होने की तिथि से नहीं दिया गया। उसे दिनांक 25.01.1992 से चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जिनका कोई निस्तारण नहीं किया गया। अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 25.11.1.985 को अप्रशिक्षित अध्यापक के तौर पर की गई और उसे आदेश दिनांक 25.11.1987 से उसकी सेवाओं अवधि की गणना की जानी चाहिए, परंतु उसे चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1992 से गणना करते हुए दिया गया। अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.01.1992 से दिया गया है। अपीलार्थी दिनांक 31.12.2014 को सेवानिवृत्त हो चुका है। माननीय अधिकरण ने भी अपील संख्या 188/2012 में आदेश दिनांक 08.10.2013 में भी निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी का प्रकरण भी उसी के समान है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की सेवा की अवधि की गणना उसकी प्रारंभिक नियुक्ति से करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे तथा अपीलार्थी को वेतन वृद्धि वेतन निर्धारण एवं पेंशन परिलाभ आदि समस्त लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों पर बिना गुणावगुण पर विचार किए, अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत

करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

अतः उक्त दोनों अपीलें, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 1803/2022 विद्यावती बोहराना बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 2051/2022 प्रवीणा भट्ट में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य